

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर
305002



By speed post/Email
Violation Letter
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

ई-मेल :ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या: MCDR-MiFLOGEN/6/2023-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक : 21-03-2025

प्रेषित: M/s Haritsons Minetech Private Limited

Nandam-2,A 2 Tilak Marg C scheme

Jaipur

(Email: hmpl.barmer@gmail.com, hmpl.haritosns@gmail.com)

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your mine code No.97RAJ04008 Siliceous Earth of 4.0 hect. situated in Bariyara Sheo Tehsil of Barmer District Rajasthan

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Nishant Kumar Rao, SrACOM on 25/07/24 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan : - <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quantity of overburden generated was 2220 cub mtr as per approved RMP whereas nil quantity was generated during year ➤ ROM production achieved was 0 tons against the target of 7240 tons. ➤ Area proposed to backfill was 1.37 ha whereas achievement is 0.0490 ha
55	As per rule every holder of mining lease shall employ a Mining Engineer and Geologist. However, it is observed that Geologist have not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंधान की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(एन. के. राव)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बारमेर

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो